राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

फा0 सं0 02/07/2020/एस–1/83 **दिनांक 23.04.2020**

आदेश

दिनांक 15.04.2020 के आदेश संख्या फा0 2/07/2020/एस–1/53 के अनुक्रम में और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अधोहस्ताक्षरी, इसके द्वारा कड़ाई से अनुपालन हेतु समेकित संशोधित दिशा–निर्देशों में निम्नलिखित को शामिल करने के आदेश जारी करती हैः

I. सभी कृषि और बागवानी गतिविधियों पर खंड 6 'ए' के तहत उप–खंड (ix), (x) और (xi)

(ix) निर्यात/आयात के लिए सुविधाएं जैसे कि पैक हाउस, बीज और बागवानी उत्पादन के लिए निरीक्षण और उपचार की सुविधा।

(x) कृषि और बागवानी गतिविधियों से संबंधित अनुसंधान प्रतिष्ठान।

(xi) रोपण सामग्री और शहद की मधुमक्खी, शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों की राज्य और अन्तर्राज्य आवाजाही।

II. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों पर खंड 14 के तहत उप–खंड (xi) और (xii)

(xi) छात्रों के लिए शैक्षिक पुस्तकों की दुकानें।

(xii) बिजली के पंखे की दुकानें।

III. व्यक्तियों के आवाजाही पर खंड 17 के तहत उप–खंड (iii)

(iii) भारतीय बंदरगाह पर भारतीय नाविकों के साइन–ऑन और साइन–ऑफ और संलग्न मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) के अनुसार पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए उनकी आवाजाही।

IV. **वन कार्यालयों पर खंड 19 (V) में वानिकी वृक्षारोपण और वन विज्ञान संचालन सहित संबंधित गतिविधियां शामिल हैं।**

यह आदेश दिल्ली के सभी हिस्सों में लागू रहेगा और आदेश संख्या 02/07/2020/एस–1/64 दिनांक 19.04.2020 के साथ पढ़ा जाएगा।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ विभागाध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

प्रतिलिपिः

1. राज्य कार्यकारी समिति, समस्त सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।